<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-107/2020/भीलवाड़ा कैम्प

1. हिन्द क्रिकेट क्लब बागोर जरिये अध्यक्ष व बहैसियत स्वयं गोपाल आत्मज श्री रामचन्द्र जी औझा आयु वयस्क निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. हिन्द क्रिकेट क्लब बागोर जरिये सचिव व बहैसियत स्वयं जगदीश आत्मज री भगवान जी वैष्णव आयु वयस्क निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. सुशील आत्मज री बंशी लाल जी औझा आयु वयस्क जरिये प्रतिनिधि ग्राम बागोर व बहैसियत स्वयं निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. बरदी चंद आत्मज श्री देवीलाल जीनगर आयु वयस्क जरिये प्रतिनिधि ग्राम बागोर व बहैसियत स्वयं निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
5. लक्ष्मी लाल आत्मज श्री देवीलाल जी औझा आयु वयस्क जरिये प्रतिनिधि ग्राम बागोर व बहैसियत स्वयं निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
6. रोहित आत्मज श्री शशी कुमार जी जैन आयु वयस्क जरिये प्रतिनिधि ग्राम बागोर व बहैसियत स्वयं निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)

. —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भीलवाड़ा जरिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा(राज0)
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भीलवाड़ा जरिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोर जरिये चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. ग्राम पंचायत बागोर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)
5. पटवार हल्का बागोर प्रथम जरिये वर्तमान पटवारी सा0 पटवार हल्का बागोर प्रथम तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(राज0)

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधि0 विरूद्ध आवंटन आदेश जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा आदेश दिनांक 08.03.2018 एफ 12—3(1)(बागोर)(05)/आरए/2018/1369

उपस्थित अभिभाषकः— श्री जगदीश दाधीच(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 2095/1 किस्म [illegible] मैदान रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि दिनांक 08.03.2018 को रेस्पोडें[illegible] 2 को रेस्पोडेंट संख्या 3 के लिए 99 वर्ष की लीज पर जिला कलक्ट[illegible] द्वारा [illegible]टन करने की स्वीकृति दी गई। अपीलांटगण द्वारा ग्राम बागोर में ग्[illegible] चहुमुखी [illegible] के लिए ग्राम बागोर में हिन्द क्रिकेट क्लब बनाया हुआ है। अ[illegible]ट संख्या 1 व 2 उ[illegible]न्द क्रिकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:21:50 IST
Reason: SelfAttested

क्लब के अध्यक्ष व सचिव है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. खसरा नम्बर 2095 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा में से 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत बागोर को खेल स्टेडियम निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम(स्कूल,कॉलेज,धर्मशालाओं एवं अन्य जनउपयोगी हेतु सरकारी भूमि के आवंटन) नियम 1963 के तहत 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की जा चुकी है तथा खेल मैदान के लिए उपयोग में लाई जा रही थी।

2. गैर मुमकीन खेल मैदान की आराजी को दुबारा अन्य प्रयोजन के लिए कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। पूर्व में उक्त भूमि दिनांक 19.08.2009 को ग्राम बागोर के लिए खेल स्टेडियम हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित की गई थी तथा भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने या लीज अवधि पूरी हो जाने पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता था। बिना पूर्व आवंटन निरस्त किये उक्त विवादित आवंटन किया गया। बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

3. विवादित भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी तथा इस बाबत उदघोषणा भी नही की गई थी। अपील स्वीकार की जायें तथा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 08.03.2018 ग्राम बागोर खसरा नम्बर 2095/1 को निरस्त किया जायें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथमतः अपील न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 04.04.2018 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जिसे उनके द्वारा प्रकरण संख्या 131/2018 के रूप में दर्ज किया गया था तथा दिनांक 17.12.2019 को उनके द्वारा पत्रावली राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार होने से न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई थी।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि ग्राम पंचायत को क्रिकेट ग्राउण्ड के लिए भूमि आवंटित की गई थी। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसकी बाउण्डरी वॉल बनायी गई थी। जिला कलक्टर के 2009 के पूर्व आवंटन आदेश को बिना खारिज किये नवीन आवंटन किया गया है। जो गलत है। वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2011(2) पेज 977 राकेश बनाम अन्य एवं राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा आरआरटी 2015 पेज 1038 छित्तरमल बनाम गोविन्दा के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

डी0एन0जे0 2011(2) पेज 977 राकेश बनाम अन्य एवं राजस्थान राज्य एवं अन्य–उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार जब भूमि पार्क, बच्चो के लिए खेल मैदान हेतु, आरक्षित की गई थी। ऐसा होने पर भूमि पब्लिक ट्रस्ट संपत्ति मानी जायेगी और उसके बाद राज्य सरकार उक्त संपत्ति को निजि आवासीय प्लॉटो में नही बदल सकती है। यदि इससे भिन्न को स्थिति हो तो राज्य सरकार तुरंत कदम उठाकर जिस बाबत उन्हें आरक्षित किया गया था। उस बाबत उन्हें आरक्षित रखा जायें।

आरआरटी 2015 पेज 1038 छित्तरमल बनाम गोविन्दा– उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार विवादित आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को पहले आवंटित की गई थी। विधि अनुसार पूर्व आवंटन निरस्त किये बिना अपीलांट को भूमि का आवंटन विधि के विपरीत माना जायेगा। निर्णित पश्चातवृति आवंटन सही निरस्त किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार विवादित भूमि पर वे काबिज है तथा हिन्द क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:50 IST
Reason: SelfAttested

की हैसियत से अपीलाधीन आदेश की वजह से उनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश जारी किया गया था। अतः अपील` करने बाबत अवसर दिया जायें। चूंकि विवादित भूमि का पूर्व में खेले मैदान निर्माण हेतु आवंटन किया गया था। जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम पंचायत बागोर के अनुसार उक्त विवादित भूमि खाता संख्या नया 1501 में ग्राम पंचायत बागोर(मिनि स्टेडियम) के नाम पर खसरा नम्बर 2095/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकीन खेल मैदान रिकोर्ड में दर्ज है। अपीलांटगण संख्या 1 व 2 हिन्द क्रिकेट क्लब बागोर के अध्यक्ष व सचिव है तथा इनके द्वारा उक्त भूमि का उपयोग खेलकूद आदि के लिए किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार खेल मैदान हेतु अन्यत्र कोई भूमि होना नहीं बताया गया है। एस0डी0ओ0 द्वारा बिना जांच किये प्रस्ताव भिजवाया गया था। जो गलत है। अपील निर्णय तक अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित रखी जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 19 अगस्त 2009 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 2095 में 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्टेडियम निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4 के अनुसार भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है। शर्त संख्या 5 के अनुसार भूमि सरकार में निहित होगी। शर्त संख्या 8 के अनुसार स्टेडियम/खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि का उपयोग खेल संबंधित कार्यों में किया जायेगा। शर्त संख्या 9 के अनुसार उपरोक्त शर्तों में भूमि पर पर निर्मित भवन सहित भूमि बिना किसी क्षतिपूर्ति/दावे के वापिस सरकार में निहित हो जायेगा।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 8 मार्च 2018 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 2095 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि निरस्त की जाकर उक्त आराजी संख्या 2095/1 रकबा 8 बीघा भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र भीलवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित की गई है। उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 27.06.2017 के अनुसरण में किया गया है। जिसके बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उक्त भूमि वांछित है तथा बिन्दु संख्या 8 के अनुसार प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत बागोर द्वारा उक्त आवंटन के संदर्भ में अपनी मिटिंग दिनांक 20.01.2017 के प्रस्ताव संख्या 18 से सर्वसम्मति से अस्पताल के लिए भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव पारित किया गया था। विवादित आवंटन के समय भूमि ग्राम पंचायत बागोर के नाम ही दर्ज थी तथा ग्राम पंचायत बागोर व हिन्द क्रिकेट क्लब के मध्य संबंधों बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत बागोर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6318 के लिए उक्त भूमि को स्वास्थ्य सुविधा हेतु सर्वथा उचित बताया है तथा यह भी अंकित किया है कि विधालयों के पास पूर्व में खेल मैदान के लिए पर्याप्त भूमि है। फिर भी यदि कोई खेल मैदान के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो स्थान ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। क्योकि आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है न की व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ। अपीलांट की इस बात में भी कोई दम नहीं है कि पूर्व आवंटन निरस्त किये बिना विवादित आवंटन किया गया है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 8 मार्च 2018 में पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए ही नवीन आवंटन आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा एफ 12–3(1)(बागोर)(05)/आरए/2018/1369 वास्ते खसरा नम्बर 2095 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा मे से 8 बीघा भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम बागोर बाबत आदेश दिनांक 8 मार्च 2018 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:50 IST
Reason: SelfAttested